न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–184 / 2022 दायर दिनांकः 08.08.2022

GCMS NO:- 2022/331

पीठासीन अधिकारी :–शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. रामकरण पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. रामकिशन पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. कमला पुत्री मोती पत्नी गिरिराज जाति बैरवा निवासी सीसोला हाल निवासी बलदेवपुरा जिला बून्दी।
3. गोपाल पुत्र मंगल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. जगदीश पुत्र मंगल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. धन्नालाल पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
6. प्रेम पुत्री धूल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला हाल पत्नी दुर्गालाल निवासी बम्बूली तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
7. मंगला पुत्र धूल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
8. ममता पुत्री मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला हाल पत्नी कैलाश निवासी ताकला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
9. रघुवीर पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
10. रामकरण पुत्र मंगल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
11. संतरा पुत्री मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला हाल पत्नी रामधन निवासी भवानीपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
12. सम्पत पत्नी मोती जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
13. हेमराज पुत्र धूल्या जाति बैरवा निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
14. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की और से वकील श्री रामबाबू शर्मा।

प्रत्यार्थी संख्या 10 की ओर से वकील श्री रमेश कुमार सिन्धव।

निर्णय दिनांक 21.08.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला तहसील नैनवां के प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 196 की खसरा सं. 1134 रकबा 0.4611 हेक्टेयर,खसरा सं. 1139 रकबा 0.3155 हेक्टेयर,खसरा सं. 1140 रकबा 0.3560 हेक्टेयर,खसरा सं. 1141 रकबा 0.0485 हेक्टेयर, खसरा सं. 1142 रकबा 0.3721 हेक्टेयर, खसरा सं. 1143 रकबा 0.2427 हेक्टेयर, खसरा सं. 1144 रकबा 0.4207 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2. 2166 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि में काश्त करने के लिए भूमि खसरा संख्या 1142,1143,1144 पर आने जाने के लिये 12 फूट चौडा रास्ता ग्राम सीसोला से महावीरपुरा जाने वाले खसरा संख्या 1126 में होकर खसरा संख्या 1148 की पूर्वी मेर के सहारे होकर खसरा संख्या 1144 पर पहुँचता है। इस रास्ते को परिशिष्ट क में लाल रंग से दिखाया गया है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर भूमि पर आते जाते है व ट्रेक्टर ट्रोली कृषि उपज लाते ले जाते है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए परिशिष्ट क में लाल रंग से दर्शाये गये स्थान पर 12 फुट रास्ता राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में तथा मौके पर कायम करवायें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब / रिपोर्ट तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1124 में से 18*1 गटठा, खसरा संख्या 1125 में से 18*1गटठा, खसरा संख्या 1126 में से 10*2गटठा,खसरा संख्या 1148 में से 20*2गटठा भूमि में से होकर रास्ता

जाना उचित है। जिसे प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है। इसके अलावा अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं है।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सीसोला में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी जाकर ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला तहसील नैनवां के प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 196 की खसरा सं. 1134 रकबा 0.4611 हेक्टेयर,खसरा सं. 1139 रकबा 0.3155 हेक्टेयर,खसरा सं. 1140 रकबा 0.3560 हेक्टेयर,खसरा स. 1141 रकबा 0.0485 हेक्टेयर, खसरा सं. 1142 रकबा 0.3721 हेक्टेयर,खसरा सं. 1143 रकबा 0.2427 हेक्टेयर, खसरा सं. 1144 रकबा 0.4207 हेक्टेयर पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 1124 में से 18*1 गटठा, खसरा संख्या 1125 में से 18*1गटठा, खसरा संख्या 1126 में से 10*2गटठा,खसरा संख्या 1148 में से 20*2गटठा भूमि परिशिष्ट "अ" में प्रस्तावित रास्ता व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिनांक 08.10.2021 को दिये गए। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा उनके निर्णय दिनांक 07.07.2022 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 08. 10.2021 निरस्त कर प्रकरण अपीलान्टगण को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने के समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने के दिशानिर्देश के साथ पत्रावली पुनः प्रतिप्रेषित की गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश की अनुपालना में प्रकरण दिनांक 08.08.2022 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। माननीय यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय की अनुपालना में दिनांक 08.08.2022 को प्रार्थीगण के अभिभापक ने न्यायालय में उपस्थिति दी। अपीलान्टगण अथवा उनकी और से कोई अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायहित में अप्रार्थी/अपीलान्ट को उपस्थित होने हेतु अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शेष अप्रार्थीगण/अपीलान्टगण 8 माह के समय तक कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 17.04.2023 को शेष सभी अपीलान्टगण/ अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार नैनवां से प्रकरण के सम्बन्ध में पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 03.07.2023 के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नहीं है। उक्त खसरा नम्बर पर पहुंचने के लिए पूर्व में प्रस्तावित रास्ता ही दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम रास्ता नहीं है। यह कि मौका पर्चा तैयार किया जाकर पढकर सुनाया जिसमें प्रार्थीगण द्वारा तथा मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा हस्ताक्षर किये गए लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। तहसीलदार नैनवां ने अपनी रिपोर्ट के साथ अप्रार्थीगण को तामील उपस्थिति हेतु नोटिस भी पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 10 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण खातेदारान प्रत्यार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1124, 1125, 1126, 1148 में से जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है। प्रार्थना पत्र 251 आर.टी. एक्ट में रास्ता तब निकाला जाता है जब वैकल्पिक रास्ता नही हो परन्तु प्रार्थीगणों की भूमि के लिए 50 वर्षो से सरकारी भूमि होकर सीसोला से माताजी के जाने वाले रास्ते बचला बर्डा सरकारी भूमि में से खसरा संख्या 1134 में से होकर प्रार्थीगणों के खेत 1144 में पहुंचता है। उक्त समस्त सरकारी भूमि को प्रार्थीगणों ने फाडकर कब्जा कर लिया है और जबरन प्रत्यार्थीगण के खातेदारी भूमि से रास्ता निकाला जा रहा है। यह कि उक्त हल्का पटवारी द्वारा जो खातेदारान की भूमि पर रास्ता निकालने की रिपोर्ट बनाकर पेश की है वह झूंठी मनगढन्त है जिस पर रामकरण के फर्जी हस्ताक्षर कर रखे है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी, अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2021 को दिये गए निर्णय के अनुसार ही रास्ता दिया जावे। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस वकील उभयपक्षकारान पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला तहसील नैनवां के प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 196 की खसरा सं. 1134 रकबा 0.4611 हेक्टेयर,खसरा सं. 1139 रकबा 0.3155 हेक्टेयर,खसरा सं. 1140 रकबा 0.3560 हेक्टेयर,खसरा सं. 1141 रकबा 0.0485 हेक्टेयर, खसरा सं. 1142 रकबा 0.3721 हेक्टेयर,खसरा सं. 1143 रकबा 0.2427 हेक्टेयर, खसरा सं. 1144 रकबा 0.4207 हेक्टेयर पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 1124 में से 18*1 गटठा, खसरा संख्या 1125 में से 18*1गटठा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

...ा 1126 में से 10*2गटठा, खसरा संख्या 1148 में से 20*2गटठा भूमि परिशिष्ट "अ" मे प्रस्तावित रास्ता व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 15:52:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः— रीडर/20.23/254 दिनांकः— 22-8-23

प्रेषितिः—

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः—न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 184/प्रा० पत्र/2022

बउनवान रामकरण वनाम कमलेश

निर्णय दिनांक 21-8-23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक ~~डिक्री/अन्तिम डिक्री/~~अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः— उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 15:52:45 IST
Reason: SelfAttested

शिकू नजरी नक्शा ट्रेस

ग्राम = सीसोला
त०ह० = नैनवाँ
जिला = बून्दी
(राज०)

परिशिष्ट - "अ"

पैमाना 1 इन्च = 2 जरीब, जरीब = 132 फीट

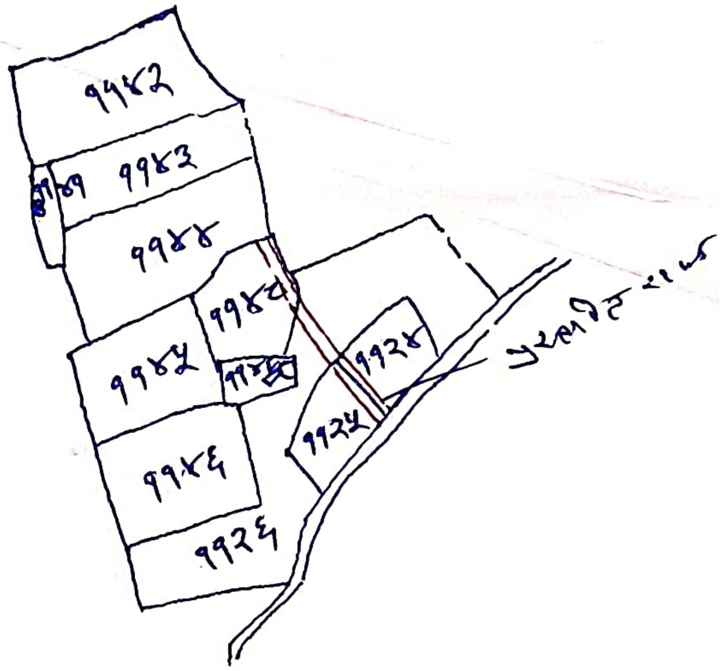

राजकार्य हेतु निःशुल्क जारी।

पटवारी
सीसोला

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 15:52:45 IST
Reason: SelfAttested